न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–76/1995

CIS No.- TS 166/2019

अब्दुल मनान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.01.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) की ओर से दिनांक 06.01.2026 को एक आवेदन अंदर आदेश 08 नियम 10 वो दफा 151 व्य0प्र0सं0 के तहत दाखिल किया गया जिसे उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–08 रसीद मियां की मृत्यु वाद की लम्बित अवस्था में हो गई। रसीद मियां का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके वारिशानों को पक्षकार बनाया गया है जो वाद में उपस्थित हो चुके है। प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) को समय से अपना ब्यान तहरीरी दाखिल नहीं करने के कारण दिनांक 25.11.2025 को न्यायालय द्वारा बयान तहरीरी से वंचित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा अंदर धारा–151 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्र देकर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी रसीद मियां द्वारा दाखिल ब्यान तहरीरी को उपस्थित प्रतिस्थापित प्रतिवादियो का ब्यान तहरीरी स्वीकार किया जाए। प्रतिस्थापित प्रतिवादियों द्वारा जान बुझकर आवेदन पत्र देने में विलम्ब नहीं किया गया है बल्कि संयोग से हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 25.11.2025 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) के आवेदन को स्वीकार करने की कृपा प्रदान करें। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) द्वारा एक आवेदन दिनांक	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–76/1995</u>

<u>CIS No.- TS 166/2019</u>

अब्दुल मनान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

जगदीश सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 07.01.2026	06.01.2026 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया कि दिनांक 25.11.2025 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाए। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। चूंकि प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) इस वाद में संघर्ष करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) का आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में प्रतिवादी सं0–8, 8(क) ता 8(ड़) का आवेदन दिनांक 06.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है। आगामी दिनांक 08.01.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	